



उद्यान विभाग ,हिमाचल प्रदेश

उद्यान कार्ड

वितरण केन्द्र.

कार्ड संख्या

वर्ष

विकास खण्ड.

1. बागवान का नाम

2. बागवान के पिता /पति का नाम

3. गाँव

4. डाकखाना

5. तहसील

6. जिला

7. बागवान के पास कुल भूमि

8. बागवान के पास फल पौधों के अन्तर्गत कुल भूमि

9. फल पौधों का विवरण:

लगातार

फल पौधों का नाम	प्रायु	योग
	5 वर्ष तक संख्या 5 वर्ष से लेकर 10वर्ष तक	10वर्ष से उपर (संख्या) (संख्या)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

प्रमाणित किया जाता है कि पार्थी के

हिस्से की जमीन का रकबा जमाबन्दी

मुताबिक सही है !

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

(दिनांक सहित)

प्रधान

सम्बन्धित ग्राम पंचायत

उपरोक्त एवम पिछले पृष्ठ पर दी गई सूचना एवम् सत्यापन के आधार पर पंजीकरण संख्या.

संख्या

दिनांक के अंतर्गत उपर उल्लेखित

बागवान के उद्यान कार्ड संख्या

जारी किया जाता है ।

उद्यान विकास अधिकारी

विकास खण्ड के हस्ताक्षर व मोहर

बागवान के हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)

उद्यान प्रसार अधिकारी के हस्ताक्षर

(दिनांक सहित)

